

# वन विभाग हरियाणा

“आवश्यकसूचना-18”

(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा की दिनांक 06.10.2022 को हुई सभा में निर्णय लिया गया था कि जिन आवेदकों द्वारा नए लाईसेंस हेतु 20 प्रतिशत ब्याना राशि प्रोसेसिंग फीस सहित ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाई गई थी उन सभी को बकाया 80 प्रतिशत एक मुश्त धन राशि लाईसेंस फीस सहित जमा करवाने के लिए ऑफर पत्र जारी कर दिए जाएं। विभाग द्वारा एस.एल.सी. के निर्णय अनुसार ऑफर पत्र जारी करते हुए लिखा गया था कि सभी आवेदक 26.10.2022 तक ऑनलाईन के माध्यम से बकाया एक मुश्त धन राशि लाईसेंस फीस सहित जमा करवा सकते हैं लेकिन नैटवर्क की वजह से बहुत सारे आवेदक ऑनलाईन के माध्यम से बकाया फीस निर्धारित समय के अन्दर-2 जमा नहीं कर सके जिस कारण फीस जमा करवाने की तिथि को दिनांक 26.10.2022 से आगे 15.11.2022 तक बढ़ा दिया गया है। ध्यान रहे कि इसके पश्चात् आगे समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

*H. S. Chahal*

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वानिकी),  
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति,  
काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा, सी.18, वन भवन,  
सैक्टर 6, पंचकूला।

*SR*